



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032021-225648
CG-DL-E-04032021-225648

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 4, 2021/फाल्गुन 13, 1942

No. 92]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 4, 2021/PHALGUNA 13, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2021

सं. 11012/248/2015—प्रशासन.—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, (भर्ती, वरिष्ठता, और प्रोन्नति) विनियम, 1996, (समय-समय पर संशोधित) अधिक्रमण में जहां तक उनका संबंध उप महाप्रबंधक (वित्त), प्रबंधक (वित्त और लेखा), लेखा अधिकारी, कनिष्ठ लेखा अधिकारी और लेखाकार के पदों से है, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा छोड़ी गई बातों के अलावा, उप महाप्रबंधक (वित्त), प्रबंधक (वित्त और लेखा), उप प्रबंधक (वित्त और लेखा), सहायक प्रबंधक (वित्त और लेखा) और लेखाकार की भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय—I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ:— (1) ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वित्त संवर्ग [उप महाप्रबंधक (वित्त और लेखा), प्रबंधक (वित्त और लेखा), उप प्रबंधक (वित्त और लेखा), सहायक प्रबंधक (वित्त और लेखा) और लेखाकार के पदों के लिए] (भर्ती, वरिष्ठता, और प्रोन्नति) विनियम, 2021 कहलाए जाएं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अनुप्रयोग — यह नियम अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

बशर्ते कि इन विनियमों का प्रावधान दैनिक दर कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

3. परिभाषाएं — इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

- (क) "अधिनियम" से तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) से है;
- (ख) किसी पद अथवा पदों की किसी श्रेणी के संबंध में "नियोक्ता प्राधिकारी" का अभिप्राय प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी से है जिसे उक्त पद अथवा पदों की श्रेणी पर नियुक्ति करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं;
- (ग) "प्राधिकरण" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से है;
- (घ) "अध्यक्ष" से अभिप्राय प्राधिकरण के अध्यक्ष से है;
- (ङ.) "दैनिक दर कर्मी" का अभिप्राय एक बार 90 (में नब्बे) दिन से अनधिक अवधि के लिए आकस्मिक स्वरूप का कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किसी कर्मी से है;
- (च) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से अभिप्राय जैसा कि विनियम 13 में विनिर्दिष्ट है, उस समिति से है जिसका गठन उच्चतर ग्रेड (ग्रेडों)/पद (पदों) पर प्रोन्नति करने हेतु प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का निर्णय करने के लिए नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा किया गया है;
- (छ) "कार्यकारणी समिति" से अभिप्राय उस समिति से है जिसमें प्राधिकरण का अध्यक्ष और पूर्ण कालिक सदस्य शामिल हों;
- (ज) "राष्ट्रीय राजमार्ग" का अभिप्राय किसी ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग से है जो केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकरण में निहित कर दिया गया हो अथवा सौंप दिया गया हो;
- (झ) "अधिकारी अथवा कर्मचारी" का अभिप्राय अध्याय—II के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण के किसी नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी से है;
- (ञ) "अनुसूची" का अभिप्राय इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची से है ;
- (ट) "अनुसूचित जातियों" और "अनुसूचित जनजातियों" का अभिप्राय वही है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और (25) में उनके लिए निश्चित किया गया है;
- (ठ) "चयन समिति" का अभिप्राय विनियम 11 में विनिर्दिष्ट संघटन के साथ अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के चयन पर विचार करने के लिए अध्यक्ष/नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा गठित किसी समिति से है ;

अध्याय—II

कार्य की शर्तें और नियम

4. पदों का वर्गीकरण — अनुसूची में निर्दिष्ट पदों का वर्गीकरण केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों, 1965, समय-समय पर यथा-संशोधित और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा ।

5. नियुक्ति — (1) उस पद का नाम जिस पर यह अध्याय लागू होता है, उसकी संख्या, वर्गीकरण और उससे संबद्ध पे मैट्रिक्स में लेवल होगा जो अनुसूची के स्तम्भ (1) से (4) तक में विनिर्दिष्ट है :

बशर्ते कि अनुसूची में उल्लिखित पदों की संख्या अध्यक्ष के अनुमोदन से घटाई या बढ़ाई जा सकती है और कार्मिकों की स्वीकृत संख्या की समीक्षा करने के लिए इस प्रकार की कवायद प्रत्येक वर्ष की जाएगी और प्रशासनिक आदेश के द्वारा प्रवर्तित की जाएगी:

(2) उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, और लेवल जिसमें चयन किया जाना है उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

3) जहां पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से सीधे भर्ती के जरिए नियुक्ति की जाती है न कि आमेलन के माध्यम से, उसमें अभ्यर्थियों का चयन करते समय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में प्राप्त अनुभव को वरीयता दी जाएगी। ऐसा कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर है अथवा प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर चुका है और वह अनुसूची के स्तम्भ—I में विनिर्दिष्ट पद के लिए पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से सीधे भर्ती के लिए आवेदन करता है तो सीधी भर्ती के लिए अनुसूची के स्तम्भ—6 में विनिर्दिष्ट आयु-सीमा उतने वर्ष बढ़ा दी जाएगी जितने वर्ष उस अधिकारी अथवा कर्मचारी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में सेवा की है, बशर्ते कि उस अधिकारी अथवा कर्मचारी की इस प्रकार बढ़ाई गई आयु-सीमा उस वर्ष की पहली जनवरी को 56 वर्ष की आयु

से अधिक नहीं होगी जिस वर्ष में उस अधिकारी अथवा कर्मचारी जिस पर पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए विचार किया जा रहा है।

6. छूट — (1) अनुसूची के स्तम्भ (6) और (11) में विनिर्दिष्ट ऊपरी आयु-सीमा में, अध्यक्ष द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के मामले में निम्नानुसार छूट दी जा सकेगी :

क्रम सं.	पद का नाम	आयु-सीमा में छूट की अधिकतम सीमा
(क)	मुख्य महाप्रबंधक और समकक्ष पदों	एक वर्ष
(ख)	अन्य पदों के लिए :- (i) जहां स्तम्भ (7) और (11) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अनुभव 10 वर्ष या अधिक हो	तीन वर्ष
	(i) जहां स्तम्भ (7) और (11) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अनुभव 3 वर्ष परंतु 10 वर्ष से कम	दो वर्ष

2) जहां अनुसूची के स्तम्भ (10) में प्रतिनियुक्ति या संविदा को भर्ती की विधि के रूप में निर्धारित किया गया हो और जहां विशिष्टीकृत पदों के निमित्त पर्याप्त प्रत्युत्तर प्राप्त न हुआ हो वहां यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह लिखित रूप में कारणों को दर्ज करके पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अनुभव में छूट प्रदान कर सकता है।

7. रोस्टर का रखरखाव — कोई विशिष्ट पद आरक्षित श्रेणी या सामान्य श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी में से किसके द्वारा भरा जाएगा, इसका निर्धारण करने के लिए प्राधिकरण में एक रोस्टर बनाया जाएगा।

8. परीक्षा — सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति द्वारा अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट किसी भी पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर होगा इस शर्त के अधीन रहते हुए कि परीक्षा के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि कोई व्यक्ति उस फीडर कैडर जिसमें वह प्रारंभिक रूप से नियुक्त किया गया था, के सीधे चैनल में पद पर प्रोन्नत होता है। तथापि प्रोन्नति पर परीक्षा के उपबंध तभी लागू होंगे जब पद का वर्गीकरण अर्थात् पद के समूह में परिवर्तन हो:

बशर्ते प्राधिकरण अथवा नियोक्ता प्राधिकारी, परीक्षा की अवधि को छह महीने की अवधि के लिए और बढ़ा सकता है।

9. स्थायीकरण — (1) जब कोई परीक्षाधीन कार्मिक विनियम 8 में विनिर्दिष्ट परीक्षा की अवधि अथवा बढ़ाई गई अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो उसे नियोक्ता प्राधिकारी के अनुमोदन से उसे उस पद पर स्थायी कर दिया जाएगा जिस पर परीक्षाधीन था।

(2) जब किसी परीक्षाधीन कार्मिक को उस पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए जिस पर वह परीक्षाधीन था तो परीक्षा की अवधि अथवा बढ़ाई गई अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात उसे, यदि किसी निचले पद पर उसका धारणाधिकार हो तो उस पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा और यदि उसका ऐसा कोई धारणाधिकार न हो तो उसे सेवामुक्त कर दिया जाएगा।

10. “अधिवर्षिता की आयु—(1) जैसा कि शिड्यूल में वर्णित है, सभी अधिकारी और कर्मचारी (नियमित तथा संविदा पर नियुक्त किए गए अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा से उस आयु पर अधिवर्षिता प्राप्त करेंगे/सेवा में नहीं रहेंगे (जैसी स्थिति हो) जो आयु केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है:”

बशर्ते, प्राधिकरण के पास यह पूर्ण अधिकार है कि यदि ऐसा करना जनहित में है, तो वह किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को लिखित में नोटिस, जो कि तीन माह से कम का न हो या ऐसे नोटिस के बदले तीन माह का वेतन और भत्ते देकर सेवानिवृत्त कर सकता है, —

(i) यदि वह, 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले, समूह-क या समूह-ख में सेवा या पद पर मूल रूप से, स्थायी या अस्थायी आधार पर प्राधिकरण में सेवा में आता है तो 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात।

(ii) सभी अन्य मामलों में पचपन वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकने पर।

(2) कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी जो किसी कैलेण्डर मास के पहले दिन को छोड़कर किसी अन्य दिन को अधिवर्षिता की आयु पूरी करता है तो वह उस महीने के अंतिम दिन सेवानिवृत्त होगा जिसमें वह अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी करता है।

(3) विनियम 17 के उप-विनियम (2) के उपबंधों के अध्याधीन यदि कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी पचास वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवा से निवृत्त होने चाहे, और ऐसा करना नियुक्ति की अन्य शर्तों के प्रतिकूल न हो, तो वह सेवा निवृत्त हो सकता है।

(4) जब कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी उप-विनियम (1) अथवा उप-विनियम (3) के परंतुक के अधीन सेवा से निवृत्त हो तो प्राधिकरण ऐसे वेतनमान और भत्तों पर प्रतिपूर्ति करने पर विचार कर सकता है जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं। प्राधिकरण शर्तों को निर्धारित करते समय सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी की बची हुई शेष सेवा सहित सभी संबंधित घटकों को ध्यान में रखेगा।

11. उम्मीदवारों के चयन के मामले में चयन समिति का संयोजन – (1) उम्मीदवार के चयन के मामले में चयन समिति की संरचना निम्नवत् होगी: –

क्रम सं.	पद का नाम	चयन समिति की संरचना
(क)	उप महाप्रबंधक (वित्त और लेखा)	(i) नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा नामित प्राधिकरण का एक सदस्य; (ii) नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा नामित तीन मुख्य महाप्रबंधक; बशर्ते कि प्रत्येक चयन समिति में, यदि उस चयन समिति में कोई सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंध न रखता हो तो, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित उपयुक्त रैंक के एक समूह-क अधिकारी को सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा : बशर्ते आगे प्रत्येक चयन समिति में, यदि उस चयन समिति में कोई सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध न रखता हो तो, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित उपयुक्त रैंक के एक अधिकारी को सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा : बशर्ते आगे यह भी कहा गया है कि प्राधिकरण में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित उपयुक्त रैंक के अधिकारी की अनुपलब्धता के मामले में, नियुक्ति प्राधिकरण अन्य सरकारी विभागों से इन श्रेणियों से संबंधित उपयुक्त रैंक के अधिकारियों को सहनियुक्त कर सकता है।
(ख)	प्रबंधक (वित्त और लेखा)	(i) नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा नामित तीन अधिकारी (मुख्य महाप्रबंधक रैंक से कम न हों); बशर्ते कि प्रत्येक चयन समिति में, यदि उस चयन समिति में कोई सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंध न रखता हो तो, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित उपयुक्त रैंक के एक समूह-क अधिकारी को सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा : बशर्ते आगे प्रत्येक चयन समिति में, यदि उस चयन समिति में कोई सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध न रखता हो तो, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित उपयुक्त रैंक के एक अधिकारी को सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा : बशर्ते आगे यह भी कहा गया है कि प्राधिकरण में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित उपयुक्त रैंक के अधिकारी की अनुपलब्धता के मामले में, नियोक्ता प्राधिकारी अन्य सरकारी विभागों से इन श्रेणियों से संबंधित उपयुक्त रैंक के अधिकारियों का चयन कर सकता है।
(ग)	उप प्रबंधक (वित्त और लेखा)	(i) नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा नामित एक मुख्य महाप्रबंधक; (ii) नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त क्षेत्र से नामित एक समूह-क अधिकारी ; (iii) नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा नामित महाप्रबंधक (प्रशासन) या उप महाप्रबंधक (प्रशासन); बशर्ते कि प्रत्येक चयन समिति में, यदि उस चयन समिति में कोई सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंध न रखता हो तो, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित उपयुक्त रैंक के एक अधिकारी को सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा :
(घ)	सहायक प्रबंधक (वित्त और लेखा)	(i) नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा नामित एक मुख्य महाप्रबंधक; (ii) नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त क्षेत्र से नामित एक समूह-क अधिकारी ; (iii) नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा नामित महाप्रबंधक (प्रशासन) या उप महाप्रबंधक (प्रशासन); बशर्ते कि प्रत्येक चयन समिति में, यदि उस चयन समिति में कोई सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंध न रखता हो तो, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित उपयुक्त रैंक के एक अधिकारी को सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा :
(ङ.)	लेखाकार	बशर्ते प्रत्येक चयन समिति में, यदि उस चयन समिति में कोई सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध न रखता हो तो, अल्पसंख्यक समुदाय से

क्रम सं.	पद का नाम	चयन समिति की संरचना
		<p>संबंधित उपयुक्त रैंक के एक अधिकारी को सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा और लेखाकार के गुप-ग पद के लिए गठित चयन समिति में उपयुक्त रैंक की एक महिला अधिकारी को सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा, यदि चयन समिति में कोई महिला अधिकारी नहीं है तो :</p> <p>बशर्ते यह भी कि प्राधिकरण में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय और महिला अधिकारी से संबंधित उपयुक्त रैंक के अधिकारी की अनुपलब्धता के मामले में, नियोक्ता प्राधिकारी अन्य सरकारी विभागों से इन श्रेणियों से संबंधित उपयुक्त रैंक के अधिकारियों का सह नियुक्त कर सकता है ।</p>

(2) किसी चयन समिति के लिए नियोक्ता प्राधिकारी, यदि आवश्यक समझे तो, संबंधित क्षेत्र से किसी बाहरी विशेषज्ञ का सह चयन कर सकता है ।

(3) यदि समिति का कोरम 75% या अधिक है तो चयन समिति की सिफारिशें वैध होंगी ।

12. रिक्तियों का विज्ञापन — (1) अनुसूची में उल्लिखित पदों की रिक्तियां प्राधिकरण जो वेतन मैट्रिक्स रु. 67700–208700 (लेवल 11) में प्रबंधक स्तर तथा समकक्ष स्तर पर प्रोन्नति द्वारा भरी जानी हैं, भर्ती विनियम 13 के अनुसार विभागीय प्रोन्नति समिति प्रक्रिया द्वारा भरी जाएंगी ।

(2) प्राधिकरण में, अनुसूची में उल्लिखित पदों के लिए, अन्य रिक्तियां योग्य अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच परिचालित की जाएगी और इसके अलावा निम्नलिखित तरीके से अधिसूचित की जाएगी, अर्थात् :-

(क) विस्तृत विज्ञापन प्राधिकरण की वेबसाइट पर होस्ट किया जाएगा और

(ख) एक सांकेतिक विज्ञापन जिसका आकार 8X6 से.मी. से कम न हो, एक हिंदी, एक अंग्रेजी दैनिक अखबार और रोजगार समाचार में प्रकाशित किया जाएगा ।

(3) योग्य अधिकारियों और कर्मचारियों सहित आवेदकों या सरकार से आवेदन या नामांकन प्राप्त होने पर, जैसा भी मामला हो, नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति के माध्यम से उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें तीन अधिकारी (एक अधिकारी विज्ञापित पद के स्तर से एक लेवल ऊपर, दूसरा मा.सं./प्रशासन प्रभाग से और एक अन्य अधिकारी) होंगे और स्क्रीनिंग समिति विनियम में पद के लिए विनिर्दिष्ट पात्रता मानदण्डों के अनुसार आवेदनों की स्क्रीनिंग करेगी और लिखित परीक्षा या इंटरव्यू या दोनों या चयन समिति के निर्णयानुसार, के आधार पर अंतिम चयन के लिए चयन समिति के विचारार्थ योग्य उम्मीदवार की सिफारिश करेगी ।

(4) चयन समिति योग्यता क्रम में आवेदकों का एक पैनल तैयार करेगी, जो रिक्तियों की संख्या तक सीमित रहेगा । हालांकि, आकस्मिकताओं के लिए एक आरक्षित सूची तैयार की जा सकती है अथवा नहीं । आरक्षित सूची गैर-परिचालन में हो जाएगी, यदि पैनल में रखे गए अभ्यर्थी प्राधिकरण में शामिल हो गए हैं । सरकारी कार्मिकों की सेवानिवृत्ति से सृजित रिक्तियों के अलावा, पैनल की वैधता के दौरान सृजित किसी नई रिक्ति को आरक्षित सूची के अभ्यर्थियों द्वारा नहीं भरा जाएगा । चयनित अभ्यर्थियों का पैनल एक वर्ष के लिए प्रचालन में रहेगा, जिसे आगे, यदि आवश्यक हो तो, अधिकतम छह माह की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है ।

(5) सीधे भर्ती अथवा पार्श्व प्रविष्टि (लेटरल एंट्री) के जरिए भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए पात्रता का निर्धारण करने हेतु निर्णायक तिथि आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी ।

(6) सीधे भर्ती या पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से भर्ती द्वारा उप महाप्रबंधक (वित्त और लेखा), प्रबंधक (वित्त और लेखा), उप-प्रबंधक (वित्त और लेखा), सहायक प्रबंधक (वित्त और लेखा) और लेखाकार स्तर के अधिकारियों के चयन के मामले में प्राधिकरण संघ लोक सेवा आयोग या भारत सरकार के अधीन किसी अन्य भर्ती एजेंसी के माध्यम से चयन करवा सकता है:

बशर्ते यदि संघ लोक सेवा आयोग या भारत सरकार के अधीन किसी अन्य भर्ती एजेंसी के माध्यम से चयन किया जाता है जो अपनी निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर सकती है, जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और किसी अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण प्रदान करेगी तो विनियम 11 और 12 (1) से 12 (3) तक में सम्मिलित प्रावधानों में छूट दी जायेगी ।

(7) केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों और केन्द्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित अधिकारियों के चयन के मामले में, जो केन्द्र सरकार कर्मचारियों को लागू केंद्रीय मंहगाई भत्ता पैटर्न में वेतन-मैट्रिक्स में उसी लेवल में हैं और जिनके पास पदों के लिए निर्धारित अपेक्षित अर्हता और अनुभव है, स्क्रीनिंग समिति द्वारा आवेदनों की स्क्रीनिंग और रिक्तियां विज्ञापित करने की आवश्यकता को छूट दी जाएगी ।

13. विभागीय पदोन्नति समिति - (डीपीसी)

(1) प्राधिकरण में वेतन मैट्रिक्स 67700–208700 में स्तर -11 प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) स्तर तक के पदों के लिए पदोन्नति द्वारा उम्मीदवारों के चयन हेतु विभागीय पदोन्नति समिति (समितियां) होंगी । विभागीय पदोन्नति समिति (समितियों) का गठन विनियम 11 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट होगा ।

- (2) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष में एक बार जनवरी महीने में होगी। हर वर्ष जनवरी माह की पहली तारीख (01, जनवरी) को उपलब्ध रिक्तियों पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया जाएगा।
- (3) पदोन्नति के लिए अधिकारियों अथवा कर्मचारियों की पात्रता का निर्धारण करने की तारीख उस वर्ष की जनवरी माह की पहली तारीख को होगी जिस वर्ष में अधिकारी अथवा कर्मचारी की पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है।
- (4) विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) द्वारा अधिकारियों अथवा कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में उनका मूल्यांकन सेवा रिकार्ड और विशेषकर पिछले पांच वित्तीय वर्षों के उनके वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) या गोपनीय रिपोर्ट (सीआर) के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यदि संगत अवधि के दौरान किसी कारणवश एक या अधिक एपीएआर अथवा सीआर नहीं लिखी गयी हैं तो डीपीसी द्वारा प्रश्नगत अवधि से पूर्ववर्ती वर्षों की एपीएआर अथवा सीआर पर विचार किया जाना चाहिए।
- (5) डीपीसी द्वारा पदोन्नति के लिए जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है उनके संबंध में निम्नलिखित बैंच मार्क के संदर्भ में उनकी योग्यता का निर्धारण किया जाएगा और तदनुसार, उन अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को केवल “उपयुक्त” या “अनुपयुक्त” (“फिट” अथवा “अनफिट”) की कोटि (ग्रेड) में रखा जाएगा:—
- वेतन मैट्रिक्स 67700—208700 में (स्तर —11) वेतनमान वाले पदों पर पदोन्नति के लिए: “अच्छा”
- (6) केवल अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को जिन्हें डीपीसी द्वारा “उपयुक्त” (“फिट”) कोटि में रखा गया है (अर्थात् जो निर्धारित बैंचमार्क को पूरा करते हैं) अपने फीडर ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता के क्रम में चयन सूची में शामिल तथा व्यवस्थित किया जाएगा। जिन अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को डीपीसी द्वारा “अनुपयुक्त” (“अनफिट”) कोटि (निर्धारित बैंचमार्क के संदर्भ में) रखा गया है उन्हें चयन सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, डीपीसी द्वारा जिन्हें “उपयुक्त” कोटि (निर्धारित बैंच मार्क के संदर्भ में) में रखा गया है उनकी पदोन्नति में कोई अधिक्रमण नहीं होगा।
- (7) पीठासीन अधिकारी के अलावा किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति के बावजूद डीपीसी की कार्यवाही कानूनी दृष्टि से वैध होगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी:
- बशर्ते कि सदस्य को विधिवत् आमंत्रित किया गया हो। परन्तु, वह जानबूझकर किसी कारण से अनुपस्थित रहे हो और उसे जानबूझकर डीपीसी के विचार-विमर्श से अलग रखने का प्रयास न किया गया हो: आगे शर्त यह है कि डीपीसी को गठित करने वाले अधिकांश सदस्य बैठक में उपस्थित हों।
- (8) डीपीसी की सिफारिशों का नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत् अनुमोदन किया जाना चाहिए और पदोन्नति करने से पहले प्राधिकरण के सतर्कता प्रभाग से भी मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए।
- (9) चुने गए उम्मीदवारों के पैनल नियोक्ता प्राधिकारी के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष के लिए लागू रहेगी।
- (10) जिन मुद्दों को उपर्युक्त उप-विनियमों के अंतर्गत नहीं रखा गया है उन पर कार्यवाही इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों अथवा अनुदेशों के अनुसार की जाएगी।”

14. संविदा पर नियुक्ति:

- (1) अध्यक्ष वहां “संविदा के आधार पर” अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है जहां अधिकारियों के अपने मूल विभाग में अधिवर्षिता की आयु केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अधिवर्षिता की आयु से कम है बशर्ते कि ऐसे अधिकारी ने प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कम से कम 2 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो।
- (2) ऐसे अधिकारियों को जिस अवधि के लिए “संविदा के आधार पर” नियुक्त किया जा सकता है वह अवधि प्रारम्भ में एक वर्ष होगी और संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अध्यधीन उसमें वार्षिक आधार पर वृद्धि या कटौती की जा सकती है बशर्ते ऐसी नियुक्ति तीन वर्ष अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अधिवर्षिता की तारीख, जो भी पहले हो, से अधिक नहीं होगी।

15. निरर्हता — (1) कोई व्यक्ति

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, वह किसी पद या ग्रेड पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

बशर्ते यदि अध्यक्ष संतुष्ट हो जाते हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे।

- (2) प्राधिकरण में किसी भी पद के लिए कार्रवाई आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का नागरिक न हो।

- (3) कोई भी व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चयन समिति के किसी सदस्य को या प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी को प्रभावित करने का प्रयास करता है या उसकी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी भौतिक तथ्य को दबा देता है या कोई भी गलत बयान या विवरण प्रदान करता है तो, किसी भी पद या ग्रेड के चयन के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

16. सेवा की समाप्ति— (1) प्राधिकरण किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी की सेवाएं उसे तीन महीने का लिखित नोटिस देकर अथवा तीन महीने का वेतन और परिलब्धियों का भुगतान करके समाप्त कर सकता है। जहां ऐसे अधिकारी या कर्मचारी

की सेवाओं का स्थायीकरण नहीं हुआ है और जहां इस तरह के अधिकारी या कर्मचारी परिवीक्षा पर हैं उनकी सेवाओं को लिखित में एक महीने का नोटिस देकर या एक महीने की परिलब्धियों का भुगतान करके उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(2) कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी प्राधिकरण की सेवा से त्यागपत्र देने, सेवा छोड़ने अथवा सेवा में न रहने के अपने मंतव्य का तीन महीने का लिखित नोटिस देकर प्राधिकरण की सेवाओं से त्यागपत्र दे सकता है, सेवा छोड़ सकता है अथवा सेवा में रहना बंद कर सकता है।

बशर्ते प्राधिकरण अपने विवेकाधिकार से तीन महीने का नोटिस देने की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है अथवा यथोचित मामलों में अवधि को कम कर सकता है।

17. वरिष्ठता— (1)—भिन्न-भिन्न विधाओं में सभी पदों के लिए पद-वार वरिष्ठता सूची की अलग-अलग श्रेणियां होंगी।

(2) सीधी भर्ती अथवा पार्श्व प्रविष्टि (लेटरल एंट्री) के जरिए सीधी भर्ती वाले अधिकारियों या कर्मचारियों के मामले में उनकी वरिष्ठता उसी क्रम में होगी जिस क्रम में चयन समिति द्वारा उनकी सिफारिश की गई है।

(3) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण केंद्रीय सरकार (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और दिशानिर्देशों के आधार पर होगा।

(4) प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को उनकी वरिष्ठता सूची की एक प्रति मुहैया कराई जाएगी।

(5) उनकी वरिष्ठता सूची में अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता के संबंध में किसी विवाद के मामले में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

18 व्यावृत्ति — इस अध्याय की कोई बात इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, पूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के उम्मीदवारों को प्रदान किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य दी जाने वाली रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगी।

19. आचरण और अनुशासन— आचरण और अनुशासन के मामलों में प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों पर जैसा कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, केंद्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1964 और केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के समय-समय पर यथा-संशोधित प्रावधान लागू होंगे।

बशर्ते, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1965 द्वारा शासित मामलों के संबंध में, अनुशासनिक प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और संवीक्षा प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे—

क्रम. सं.	वित्त संवर्ग में अधिकारियों/कर्मचारियों का ग्रेड	नियोक्ता प्राधिकारी	सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के नियम 11 में किए गए प्रावधान के अनुसार शास्ति लगाने के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी		अपीलीय अधिकारी	संवीक्षा अधिकारी
			लघु शास्तियां	सभी शास्तियां		
(i)	मुख्यालय (मु.) में उपमहाप्रबंधक, प्रबंधक, उपप्रबंधक	सदस्य (प्रशा.)	मुख्य महाप्रबंधक जिनके अधीन अधिकारी काम कर रहा है	सदस्य (प्रशा.)	अध्यक्ष	अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों की कार्यकारी समिति
(ii)	फील्ड कार्यालय में उप महाप्रबंधक, प्रबंधक और उपप्रबंधक	सदस्य (प्रशा.)	मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम)/क्षेत्रीय अधिकारी (आर ओ) (जहां सीजीएम क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात नहीं है, वहां मुख्यालय का वह सीजीएम जो उस राज्य का कामकाज देख रहा है)	सदस्य (प्रशा.)		
(iii)	मुख्यालय में सहायक प्रबंधक	सदस्य (प्रशा.)	मुख्य महाप्रबंधक (प्रशा. एवं मा.सं.)	सदस्य (प्रशा.)		
(iv)	फील्ड कार्यालयों में सहायक प्रबंधक	सदस्य (प्रशा.)	मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम)/क्षेत्रीय अधिकारी (आर ओ) (जहां सीजीएम क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात नहीं है, वहां मुख्यालय का वह सीजीएम जो उस राज्य	सदस्य (प्रशा.)		

क्रम. सं.	वित्त संवर्ग में अधिकारियों/कर्मचारियों का ग्रेड	नियोक्ता प्राधिकारी	सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के नियम 11 में किए गए प्रावधान के अनुसार शास्ति लगाने के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी		अपीलीय अधिकारी	संवीक्षा अधिकारी
			लघु शास्तियां	सभी शास्तियां		
			का कामकाज देख रहा है)			
(v)	मुख्यालय में लेखाकार	सदस्य (प्रशा.)	उप महाप्रबंधक (प्रशा.)	सदस्य (प्रशा.)		
(vi)	फील्ड कार्यालयों में लेखाकार	सदस्य (प्रशा.)	क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) के उप महाप्रबंधक (डीजीएम) (जहां डीजीएम क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात नहीं है, वहां मुख्यालय का वह डीजीएम जो उस राज्य का कामकाज देख रहा है)	सदस्य (प्रशा.)		

20. अवशिष्ट मामले — अधिनियम की धारा 35 के अधीन बनाए गए विनियमों अथवा सामान्य उसके अधीन बनाए गए अथवा जारी किए गए किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अंतर्गत विशेष रूप से न आने वाले मामलों के संबंध में, प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को सामान्यतया केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों और समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों द्वारा शासित किया जाएगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप महाप्रबंधक (वित्त)	17 (2021)* *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह—'क'	वेतन मैट्रिक्स में लेवल—12 (रु 78800 —209200)	चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती हेतु आवश्यक शैक्षिक अर्हता और अनुभव	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न तरीकों से रिक्तियों को भरे जाने का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	i) पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा 50 प्रतिशत टिप्पणी: नियोक्ता प्राधिकारी कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए, पदोन्नति हेतु उम्मीदवारों की उपलब्धता और संगठन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तरीकों के तहत निर्दिष्ट कोटे को अस्थायी रूप से समायोजित कर सकते हैं।

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनमें से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति की जानी है	यदि एक विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसकी संरचना क्या है	परिस्थितियों जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने हेतु परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>पदोन्नति: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वेतन मैट्रिक्स (रु 67700-208700) के लेवल -11 में प्रबंधक (वित्त और लेखा) के पद पर पांच साल की नियमित सेवा वालों में से चयन माध्यम द्वारा।</p> <p>टिप्पणी: जिन मामलों में जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठों की पदोन्नति की गई हो या किये जाने पर विचार किया जा रहा हो उन मामलों में उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा में ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष जो भी कम हो, की कमी न हो, और उन्होंने अपने उन कनिष्ठों जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु उनकी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी की ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : (क) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्ध सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों से (i) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर लेवल-12 वेतन मैट्रिक्स (रु 78800-209200) (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) या औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में समकक्ष या सदृश पद पर कार्यरत हों : अथवा (ii) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स (रु 67700-208700) में लेवल-11 पर (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता) पद्धति में या औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में समकक्ष या पदों पर नियमित आधार पर चार साल की सेवा कर चुके हों: अथवा (iii) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स (रु 56100-177500) में लेवल-10 पर (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता) पद्धति में या औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नौ साल की सेवा कर चुके हों: और (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वाणिज्य में स्नातक अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा प्रमाणित प्रबंधन लेखाकार अथवा एमबीए (वित्त) अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के वित्त अथवा लेखा से संबंधित किसी संगठित सेवा का सदस्य; और (ii) किसी प्रतिष्ठित संगठन में वित्तीय लेखांकन अथवा बजटिंग अथवा आंतरिक लेखा-परीक्षा अथवा संविदा प्रबंधन अथवा निधि प्रबंधन अथवा संवितरण में 6 वर्ष का अनुभव हो।</p>	लागू नहीं	लागू नहीं

<p>टिप्पणी : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें कि इस नियुक्ति से ठीक पहले इसी या अन्य संगठन अथवा विभाग में बाह्य संवर्ग के किसी अन्य पद हेतु प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित आमतौर पर 3 वर्ष होगी जिसे अध्यक्ष महोदय भाराराप्रा के अनुमोदन से 2 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि को 5 वर्ष के पश्चात अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए संतोषजनक निष्पादन की शर्त पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से आगे बढ़ाया जाएगा। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक न हो।</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. प्रबंधक (वित्त और लेखा)	46 (2021)* * कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह—क	वेतन मैट्रिक्स (67700—208700 रुपए) में लेवल 11 में	पदोन्नति के लिए गैर चयन तथा प्रतिनियुक्ति के लिए चयन	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(i) पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा 50 प्रतिशत टिप्पणी: नियोक्ता प्राधिकारी कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए, पदोन्नति हेतु उम्मीदवारों की उपलब्धता और संगठन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तरीकों के तहत निर्दिष्ट कोटे को अस्थायी रूप से समायोजित कर सकते हैं।

(11)	(12)	(13)
<p>पदोन्नति : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वेतन मैट्रिक्स (56100—177500 रुपए) में लेवल—10 में उप प्रबंधक (वित्त और लेखा) के पद पर चार साल की नियमित सेवा वालों में से।</p> <p>टिप्पणी—I:— जिन मामलों में जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठों की पदोन्नति की गई हो या किये जाने पर विचार किया जा रहा हो उन मामलों में उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा में ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, की कमी न हो, और उन्होंने अपने उन कनिष्ठों जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु उनकी परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी की ली हो।</p> <p>टिप्पणी—II:— मौजूदा पदधारियों द्वारा लेखा अधिकारी के पद पर, उनके नियमितीकरण अथवा सीधी भर्ती पर नियुक्ति की तारीख से, प्रदान की गई सेवा, को उनकी नियुक्ति की तारीख से उप प्रबंधक (वित्त और लेखा) के पद में प्रतिपादित माना जाएगा।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :— (क) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्ध सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों से</p>	<p>नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा नामित तीन अधिकारियों (मुख्य महाप्रबंधकों के पद से नीचे नहीं) से गठित विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए)</p> <p>तथा विनियमन 11 (1) (बी) में निर्धारित अन्य शर्तों की पूर्ति</p>	लागू नहीं ।

<p>(i) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स (67700–208700 रुपए) में लेवल-11 में (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में पदों पर नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्यरत हों</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>(ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स (56100–177500 रुपए) में लेवल-10 में अथवा लेवल-9 के वेतन मैट्रिक्स (53100–167800 रुपए) में (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में पदों पर नियमित आधार पर चार वर्ष की सेवा कर चुके हों;</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>(iii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स (47600–151100 रुपए) में लेवल-8 में (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में पदों पर नियमित आधार पर छह वर्ष की सेवा कर चुके हों।</p> <p>(ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वाणिज्य में स्नातक अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा प्रमाणित प्रबंधन लेखाकार अथवा एमबीए (वित्त) (नियमित पाठ्यक्रम के माध्यम से)</p> <p>अथवा</p> <p>केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के वित्त अथवा लेखा से संबंधित किसी संगठित सेवा का सदस्य;</p> <p style="text-align: center;">तथा</p> <p>(ii) किसी प्रतिष्ठित संगठन में वित्तीय लेखांकन अथवा बजटिंग अथवा आंतरिक लेखा-परीक्षा अथवा संविदा प्रबंधन अथवा निधि प्रबंधन अथवा संवितरण में चार साल का अनुभव, जिसके साथ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों या सरकारी संगठन में डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का कम से कम छह महीने का अनुभव शामिल होना चाहिए।</p> <p>टिप्पणी—III: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें कि इस नियुक्ति से ठीक पहले इसी या अन्य संगठन अथवा विभाग में बाह्य संवर्ग के किसी अन्य पद हेतु प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित आमतौर पर 3 वर्ष होगी जिसे अध्यक्ष महोदय भाराराप्रा के अनुमोदन से 2 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि को 5 वर्ष के पश्चात अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए संतोषजनक निष्पादन की शर्त पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से आगे बढ़ाया जाएगा। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष से अधिक न हो।</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. उप प्रबंधक (वित्त और लेखा)	40(2021)* *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह-क	वेतन मैट्रिक्स (56100–177500 रुपए) में लेवल-10 में	पदोन्नति के लिए गैर चयन तथा सीधी भर्ती के लिए चयन	35 वर्ष से अधिक न हो

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>अनिवार्य शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव :—</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वाणिज्य में स्नातक अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा प्रमाणित प्रबंधन लेखाकार अथवा एमबीए (वित्त) (नियमित पाठ्यक्रम के माध्यम से)</p> <p>अथवा</p> <p>केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के वित्त अथवा लेखा से संबंधित किसी संगठित सेवा का सदस्य;</p> <p>तथा</p>	लागू नहीं	<p>एक वर्ष के लिए, जिसे नियोक्ता प्राधिकारी के विवेक पर तथा इन विनियमों के विनियमन 8 में निर्धारित शर्तों के अधीन आगे 6 मास की अवधि के लिए बढ़ाया</p>	<p>(i) पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत</p> <p>(ii) खुले विज्ञापन के माध्यम से तथा लिखित परीक्षा के माध्यम सीधी भर्ती द्वारा 30 प्रतिशत</p> <p>(iii) प्रतिनियुक्ति द्वारा 20 प्रतिशत</p> <p>टिप्पणी: नियोक्ता प्राधिकारी कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए, पदोन्नति हेतु उम्मीदवारों की उपलब्धता और संगठन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए</p>

(ii) किसी प्रतिष्ठित संगठन में वित्तीय लेखाकरण अथवा बजटिंग अथवा आंतरिक लेखा-परीक्षा अथवा संविदा प्रबंधन अथवा निधि प्रबंधन अथवा संवितरण में चार साल का अनुभव, जिसके साथ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों या सरकारी संगठन में 'डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम' का कम से कम छह महीने का अनुभव शामिल होना चाहिए।		जा सकता है।	विभिन्न तरीकों के तहत निर्दिष्ट कोटे को अस्थायी रूप से समायोजित कर सकते हैं।
---	--	-------------	--

(11)	(12)	(13)
<p>पदोन्नति :</p> <p>भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रुपए) में लेवल-8 में सहायक प्रबंधक (वित्त और लेखा) के पद पर चार साल की नियमित सेवा वालों में से।</p> <p>टिप्पणी-I:- जिन मामलों में जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठों की पदोन्नति की गई हो या किये जाने पर विचार किया जा रहा हो उन मामलों में उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा में ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, की कमी न हो, और उन्होंने अपने उन कनिष्ठों जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु उनकी परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी की ली हो।</p> <p>टिप्पणी-II मौजूदा पदधारियों द्वारा कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर, उनके नियमितीकरण की तारीख से, प्रदान की गई सेवा, को उनकी नियुक्ति की तारीख से सहायक प्रबंधक (वित्त और लेखा) के पद में प्रतिपादित माना जाएगा।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :-</p> <p>(क) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्ध सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों से</p> <p>(i) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स (56100-177500 रुपए) में लेवल-10 में (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों;</p> <p>अथवा</p> <p>(ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स (53100-167800 रुपए) में लेवल-9 अथवा वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रुपए) में लेवल-8 (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) में अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में पदों पर नियमित आधार पर चार वर्ष की सेवा कर चुके हों;</p> <p>अथवा</p> <p>(iii) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रुपए) में लेवल-7 (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) में अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में पदों पर नियमित आधार पर छह वर्ष की सेवा कर चुके हों।</p> <p>तथा</p> <p>(ख) स्तम्भ (7) में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।</p> <p>टिप्पणी : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें कि इस नियुक्ति से ठीक पहले इसी या अन्य संगठन अथवा विभाग में बाह्य संवर्ग के किसी अन्य पद हेतु प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित आमतौर पर 3 वर्ष होगी जिसे अध्यक्ष महोदय भाराराप्रा के अनुमोदन से 2 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि को 5 वर्ष के पश्चात अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए संतोषजनक निष्पादन की शर्तों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से आगे बढ़ाया जाएगा। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष से अधिक न हो।</p>	<p>नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा नामित</p> <p>तीन अधिकारियों (मुख्य महाप्रबंधकों के पद से नीचे नहीं) से गठित विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) तथा</p> <p>विनियमन 11 (1) (सी) में निर्धारित अन्य शर्तों के पूरा किए जाने की स्थिति में</p>	<p>लागू नहीं।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सहायक प्रबंधक (वित्त और लेखा)	118(2021)* *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह—'ख'	वेतन मैट्रिक्स (47600—151100 रुपए) में लेवल—8 में	पदोन्नति के लिए गैर चयन तथा प्रतिनियुक्ति के लिए चयन	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	एक वर्ष के लिए जिसे नियोक्ता प्राधिकारी के विवेक पर तथा इन विनियमों के विनियमन 8 में निर्धारित शर्तों के अधीन आगे 6 मास की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।	(i) पदोन्नति द्वारा 70 प्रतिशत (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा 30 प्रतिशत टिप्पणी: नियोक्ता प्राधिकारी कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए, पदोन्नति हेतु उम्मीदवारों की उपलब्धता और संगठन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तरीकों के तहत निर्दिष्ट कोटे को अस्थायी रूप से समायोजित कर सकते हैं।

(11)	(12)	(13)
<p>पदोन्नति : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वेतन मैट्रिक्स (29200—92300 रुपए) में लेवल—5 में लेखाकार के पद पर पांच साल की नियमित सेवा वालों में से। टिप्पणी: जिन मामलों में जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठों की पदोन्नति की गई हो या किये जाने पर विचार किया जा रहा हो उन मामलों में उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा में ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, की कमी न हो, और उन्होंने अपने उन कनिष्ठों जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु उनकी परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी की ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति :- (क) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्ध सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों से (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स (47600—151100 रुपए) में लेवल—8 (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) में अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों ; अथवा (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स (44900—142400 रुपए) में लेवल—7 (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) में अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में पदों पर नियमित आधार पर दो वर्ष की सेवा कर चुके हों; अथवा (iii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स (35400—112400 रुपए) में लेवल—6 (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) में अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में पदों पर नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों। (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वाणिज्य में स्नातक अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा प्रमाणित प्रबंधन लेखाकार अथवा एमबीए (वित्त) (नियमित पाठ्यक्रम के माध्यम से)</p>	<p>नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा नामित एक मुख्य महाप्रबंधक, उपयुक्त अध्यन विषय के एक समूह 'क' अधिकारी तथा महाप्रबंधक (प्रशासन) अथवा उप महाप्रबंधक (प्रशासन) से गठित विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु) तथा विनियमन 11 (1) (डी) में निर्धारित अन्य शर्तों के पूरा किए जाने की स्थिति में ।</p>	लागू नहीं ।

अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के वित्त अथवा लेखा से संबंधित किसी संगठित सेवा का सदस्य; तथा (ii) किसी प्रतिष्ठित संगठन में वित्तीय लेखांकन अथवा बजटिंग अथवा आंतरिक लेखा-परीक्षा अथवा संविदा प्रबंधन अथवा निधि प्रबंधन अथवा संवितरण में चार साल का अनुभव, टिप्पणी:— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें कि इस नियुक्ति से ठीक पहले इसी या अन्य संगठन अथवा विभाग में बाह्य संवर्ग के किसी अन्य पद हेतु प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित आमतौर पर 3 वर्ष होगी जिसे अध्यक्ष महोदय भारांप्रा के अनुमोदन से 2 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि को 5 वर्ष के पश्चात अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए संतोषजनक निष्पादन की शर्त पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से आगे बढ़ाया जाएगा। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु—सीमा 56 वर्ष से अधिक न हो।		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. लेखाकार	88 (2020)* *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह—'ग'	वेतन मैट्रिक्स (29200—92300 रुपए) में लेवल—5 में	चयन	30 वर्ष से अधिक न हो

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं:— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वाणिज्य में स्नातक अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट में इंटरमीडिएट अथवा प्रमाणित प्रबंधन लेखाकार में इंटरमीडिएट अथवा एमबीए (वित्त) में (नियमित पाठ्यक्रम के माध्यम से) उपाधि ; अथवा अधीनस्थ लेखा सेवा (एसएसएस) अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी संगठित लेखा विभाग द्वारा आयोजित समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण।	लागू नहीं	एक वर्ष के लिए, जिसे नियुक्ता प्राधिकारी के विवेक पर तथा इन विनियमों के विनियमन 8 में निर्धारित शर्तों के अधीन आगे 6 मास की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।	खुले विज्ञापन तथा लिखित परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं।

आलोक, सदस्य (प्रशासन)

[विज्ञापन-III / 4 / असा. / 526 / 2020—21]

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(National Highways Authority of India)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th March, 2021

No. 11012/248/2015-Admn.—In exercise of the powers conferred by section 35 read with section 9 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) and in supersession of the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996, (amended from time to time) in so far as they relate to the posts of Deputy General Manager (Finance), Manager (Finance and Accounts), Accounts Officer, Junior Accounts Officer and Accountant except as respects to things done or omitted to be done before such supersession, the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations, providing for the recruitment, seniority and promotion of Deputy General Manager (Finance and Accounts), Manager (Finance and Accounts), Deputy Manager (Finance and Accounts), Assistant Manager (Finance and Accounts) and Accountant, namely : -

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the National Highways Authority of India, Finance Cadre [For posts of Deputy General Manager (Finance and Accounts), Manager (Finance and Accounts), Deputy Manager (Finance and Accounts), Assistant Manager (Finance and Accounts) and Accountant] (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.— These rules shall apply to the posts specified in the Schedule:

Provided that the provisions of these regulations shall not apply to daily rated workers.

3. Definitions.— In these regulations, unless the context otherwise requires:-

(a) “Act” means the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) ;

(b) “Appointing Authority” in relation to a post or a category of posts means the Authority or any officer or employee of the Authority to whom the powers of making appointment to the said posts or category of posts have been delegated;

(c) “Authority” means the National Highways Authority of India constituted under Section 3 of the Act;

(d) “Chairman” means the Chairman of the Authority;

(e) “Daily rated worker” means a worker appointed by the Authority to attend to casual nature of work for a period not exceeding ninety days at a time;

(f) “Departmental Promotion Committee” means a Committee constituted by the Appointing Authority for judging the suitability of officers and employees of the Authority for considering promotions to higher grade(s)/post(s), as specified in regulation 13;

(g) “Executive Committee” means a Committee comprising Chairman and full-time Members of the Authority;

(h) “National Highway” means a National Highway which has been vested in or entrusted to the Authority by the Central Government;

(i) “Officer or employee” means an officer or employee of the Authority appointed in accordance with the provisions of Chapter-II;

(j) “Schedule” means the Schedule annexed to these regulations;

(k) “Scheduled Castes” and “Scheduled Tribes” have the same meaning as assigned to them in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution of India;

(l) “Selection Committee” means a committee constituted by the Chairman/ Appointing Authority to consider selection of officers or employees with composition specified in regulation 11.

CHAPTER II

TERMS AND CONDITIONS OF EMPLOYMENT

4. Classification of posts.— The posts in the Authority mentioned in the Schedule shall be classified as provided under the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, as amended from time to time and as per the instructions issued there under by the Central Government.

5. Appointment.— (1) The name of the post to which this Chapter applies, its number, classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (1) to (4) of the Schedule.

Provided that sanctioned number of posts mentioned in the Schedule may be increased or decreased with the approval of Chairman and such an exercise to review the sanctioned strength shall be undertaken every year and promulgated by an administrative order:

(2) The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications, and the level from which selection is to be made shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

(3) Where recruitment is made by the method of direct recruitment through lateral entry and not through absorption, experience gained in National Highways Authority of India shall be given preference in the selection of candidates. The age-limit for direct recruitment specified in column 6 of the Schedule, in the case of an officer or employee who is, or has been, on deputation to National Highways Authority of India and applies for direct recruitment through lateral entry to a post specified in column 1 of the Schedule shall be increased by the number of

years such officer or employee has served National Highways Authority of India, subject to the condition that the age-limit so increased shall not be more than fifty-six years of age as on the 1st day of January of the year in which such officer or employee is being considered for direct recruitment through lateral entry.

6. Relaxation.— (1) The upper age-limit specified in column (6) and (11) of the Schedule may be relaxed, in the case of officers and employees by the Chairman as follows:

Sl. No.	Name of post	Maximum limit of age relaxation
(a)	Chief General Manager and equivalent posts	One year
(b)	For other posts:- (i) where the minimum experience specified in column (7) and (11) is 10 years or more	Three years
	(ii) where the minimum experience specified in column (7) and (11) is 3 years to less than 10 years	Two years

(2) Where deputation or contract is specified as a mode of recruitment in Column (10) of the Schedule and where the adequate response is not received against the specialised posts, if the Chairman is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may for the reasons to be recorded in writing, relax the experience required for the post.

7. Maintenance of roster.— For the purpose of determining whether a particular post is to be filled from amongst candidates belonging to the reserved category or general category, a roster shall be maintained in the Authority.

8. Probation.— Every person appointed to a post specified in column (1) of the Schedule by the method of direct recruitment or by promotion shall be on probation for a period of one year, subject to the condition that the provision of probation shall not be applicable, if a person is promoted to a post in the direct channel of a feeder cadre to which he was initially appointed. However, the provision of probation on promotion shall be applicable when the classification of post, i.e. Group of the post changes:

Provided that the Authority or the appointing authority, as the case may be, may extend the period of probation for a further period of six months.

9. Confirmation.— (1) Where a probationer has successfully completed the period of probation or the extended period specified in regulation 8, he shall be confirmed in the post in which he was on probation with the approval of the Appointing Authority.

(2) Where a probationer is declared unfit for the post in which he was on probation after the expiry of the period of probation or the extended period, he shall, if he is having a lien on a lower post, be reverted to that post and if he has no such lien, be discharged.

10. Age of superannuation.— (1) All officers and employees (regular as well as officers and employees appointed on contract) as mentioned in the Schedule shall superannuate from service or cease to be in service (as the case may be) at the age, as applicable to the Central Government employees:

Provided that, the Authority, if it is of the opinion that it is in the public interest so to do, have the absolute right to retire any officer or employee by giving him a notice of not less than three months in writing or three months' pay and allowances in lieu of such notice,-

(i) if he is, in Group-A or Group-B service or post, in a substantive, or temporary capacity and had entered into service of the Authority before attaining the age of 35 years, after he has attained the age of 50 years;

(ii) in all other case after he has attained the age of fifty-five years.

(2) An officer or employee, who attains the age of superannuation on any day other than the first day of any calendar month, shall retire on the last day of month in which he completes this age of superannuation.

(3) Subject to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 17; an officer or employee may also, if he so desires, and subject to the other terms of appointment to the contrary, if any, retire from service on completion of fifty years of age.

(4) When an officer or employee retires from service either under the proviso to sub-regulation (1) or sub-regulation (3), the Authority may consider grant of compensation on such scale and terms as may be determined by it from time to time. The Authority while determining the terms shall take into account all relevant factors including the balance of service left to a retiring employee.

11. Composition of the Selection Committees in the case of selection of candidates.- (1) In the case of selection of candidates, the composition of the Selection Committee shall be as under,-

Sl. No.	Name of the post	Composition of the Selection Committee	
(a)	Deputy General Manager (Finance and Accounts)	(i)	One Member of the Authority, to be nominated by the Appointing Authority;
		(ii)	Three Chief General Managers to be nominated by the Appointing Authority:
		<p>Provided that in each Selection Committee, one Group-‘A’ officer of appropriate rank belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe shall also be nominated as a Member, in case no member of the Selection Committee belongs to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe:</p> <p>Provided further that in each Selection Committee, an officer of an appropriate rank belonging to minority community shall also be nominated as Member, in case no member of the Selection Committee belong to minority community:</p> <p>Provided also that in case of non-availability of an officer of appropriate rank belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and Minority Community in the Authority, the Appointing Authority may co-opt an officer of an appropriate rank belonging to such categories from other Government Departments.</p>	
(b)	Manager (Finance and Accounts)	(i) Three officers (not below the rank of Chief General Manager) to be nominated by the Appointing Authority;	
(c)	Deputy Manager (Finance and Accounts)	<p>Provided that in each Selection Committee, a Group-‘A’ officer of appropriate rank belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe shall also be inducted as a Member, in case no member of the Selection Committee belongs to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe:</p> <p>Provided further that in each Selection Committee, an officer of an appropriate rank belonging to minority community shall also be inducted as Member, in case no member of the Selection Committee belong to minority community:</p> <p>Provided also that in case of non-availability of an officer of appropriate rank belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and Minority Community in the Authority, the Appointing Authority may co-opt an officer of an appropriate rank belonging to such categories from other Government Departments.</p>	
(d)	Assistant Manager (Finance and Accounts)	<p>(i) A Chief General Manager to be nominated by the Appointing Authority;</p> <p>(ii) A Group-A Officer of an appropriate discipline to be nominated by the Appointing Authority;</p>	
(e)	Accountant	<p>(iii) The General Manager (Administration) or Deputy General Manager (Administration) to be nominated by the Appointing Authority:</p> <p>Provided that in each Selection Committee an officer of appropriate rank belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe shall also be nominated as a Member in case no member of the Selection Committee belongs to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe:</p> <p>Provided further that in each Selection Committee constituted, an officer of appropriate rank belonging to minority community shall be inducted as Member, in case no member of the Selection Committee belong to minority community and in each Selection Committee constituted for Group-C post of Accountant, one lady officer of an appropriate rank shall also be nominated as Member, in case no member of the Selection Committee is a lady:</p> <p>Provided also that in case of non-availability of an officer of appropriate rank belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and Minority Community and a lady officer in the Authority, the Appointing Authority may co-opt an officer of an appropriate rank belonging to such categories from other Government Departments.</p>	

(2) The Appointing Authority may co-opt one outside expert from the relevant field, if deemed necessary, for any of the Selection Committee.

(3) The recommendations of the Selection Committee will be valid if the quorum of the Committee is 75% or more.

12. Advertisement of vacancies.— (1) The vacancies mentioned for the posts in Schedule in the Authority to be filled up by promotion up to the level of Manager in the pay matrix of Rs.67700-208700 (level 11) and equivalent level shall be filled through Departmental Promotion Committee procedure as per Regulation 13.

(2) The other vacancies, for the posts mentioned in the Schedule, in the Authority shall be circulated among eligible Officers, and employees and in addition notified in the following manner, namely:-

- (a) a detailed advertisement shall be hosted on the website of the Authority; and
- (b) an indicative advertisement of the size not less than 8x6 cm shall be published in one Hindi, one English daily newspaper and the Employment News.

(3) On receipt of applications or nomination from applicants or Government, including applications from eligible officers and employees, as the case may be, the same shall be got screened through the Screening Committee to be constituted by the Appointing Authority, which shall comprise of three officers (one officer who shall be at least one level above the level of the post advertised, second from HR/Administration Division and one more officer) and the Screening Committee shall screen the applications with respect to the eligibility criteria specified for the post in these regulations and recommend the eligible candidates for consideration of the Selection Committee for final selection on the basis of written test or interview or both or as decided by the Selection Committee.

(4) The Selection Committee shall prepare a panel of candidates in order of merit, which shall be restricted to the number of vacancies. However, a reserve list may or may not be made for contingencies. The reserve list will become non-operational in case the empanelled candidates have joined the Authority. Any new vacancy created during the validity of the panel will not be filled by the reserve list of the candidates, except for the vacancies created due to superannuation. The panel of selected candidates shall remain operative for one year, which may be further extended for a maximum period of six months, if deemed necessary.

(5) The crucial date for determination of eligibility for posts to be filled on direct recruitment or recruitment through lateral entry or deputation or contract basis shall be the last date prescribed for the receipt of applications.

(6) In case of selection of officers at the level of Deputy General Manager (Finance and Accounts), Manager (Finance and Accounts), Deputy Manager (Finance and Accounts), Assistant Manager (Finance and Accounts) and Accountant by direct recruitment or recruitment through lateral entry, the Authority may conduct selection through the Union Public Service Commission or any other recruiting agency under the Government of India:

Provided that the provisions contained in Regulation 11 and 12 (1) to 12 (3) shall be dispensed with in case of selection through Union Public Service Commission or any other recruiting agency under the Government of India, which may follow their own laid down procedure, which shall provide for reservation for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes and any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

(7) In case of selection of officers belonging to the Central / State Government Departments and Central / State Public Sector Undertakings, who carry the similar level in pay matrix in Central Dearness Allowance pattern as applicable to Central Government employees and possess the requisite qualification and experience prescribed for the posts, the requirement to advertise the vacancies and screening of applications through the Screening Committee shall be dispensed with.

13. Departmental Promotion Committee (D.P.C.).- (1) There shall be Departmental Promotion Committee(s) for selection of candidates by promotion for the posts upto the level of Manager (Finance and Accounts) in the pay matrix of Rupees 67700-208700 (level-11) in the Authority and the composition of the Departmental Promotion Committee(s) shall be same as specified in regulation (11).

(2) The DPC shall meet once in every year in the month of January. The vacancies as on 1st day of January each year shall be considered by DPC for considering promotion.

(3) The date for determining the eligibility of Officers or employees for promotion shall be the first day of January of the year in which the Officer or Employee is being considered for promotion.

(4) The DPC should assess the suitability of officers or employees for promotion on the basis of their Service Records and with particular reference to the Annual Performance Appraisal Reports (APARs) or Confidential Report (CRs) for five preceding financial years. If one or more APARs or CRs have not been written for any reason during the relevant period, the DPC should consider the APARs or CRs of the years preceding the period in question.

(5) The DPC shall determine the merit of those being assessed for promotion with reference to the following benchmark and accordingly grade the Officer or employee as “fit” or “unfit” only.-

For promotion to the posts having scale in the pay : “Good”.

matrix of Rupees 67700-208700 (level-11)

(6) Only those Officers or employees who are graded “fit” (i.e. who meet the prescribed benchmark) by the DPC shall be included and arranged in the select panel in order of their inter-se-seniority in the feeder grade. Those Officers

or employees who are graded “unfit” (in terms of prescribed benchmark) by the DPC shall not be included in the select panel. Thus there shall be no supersession in promotion among those who are graded “fit” (in terms of the prescribed benchmark) by the DPC.

(7) The proceedings of the DPC shall be legally valid and shall be acted upon notwithstanding the absence of any of its members other than the Presiding Officer:

Provided that the member was duly invited but he knowingly absented himself for one reason or the other and there was no deliberate attempt to exclude him from the deliberation of the DPC:

Provided further that the majority of the members constituting the DPC are present in the meeting.

(8) The recommendations of the DPC should be duly approved by the Appointing Authority and a clearance from the Vigilance Division of the Authority shall also be obtained before making promotion.

(9) The panel of selected candidates shall remain operative for one year from the date of approval of the Appointing Authority.

(10) Action on issues which are not specifically covered in above sub regulations shall be taken as per guidelines or instructions issued by the Central Government in this regard from time to time.

14. Appointment on Contract.- (1) Chairman may engage officers on “Contract basis” where the age of superannuation in their parent department is less than the age of superannuation prescribed in Central Government:

Provided that such officer has completed at least 2 years continuous service on deputation with the Authority.

(2) The period for which such Officers could be engaged on “Contract basis” would be initially one year and may be extended on yearly basis or curtailed subject to satisfactory performance:

Provided that the period of such engagement shall not be more than three years or shall not go beyond the date of superannuation prescribed by the Central Government, whichever is earlier.

15. Disqualifications.- (1) No person.-

(a) who has entered into or contracted a marriage having a spouse living; or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post or grade:

Provided that the Chairman may, if he is satisfied that such marriage is permissible under the personal law of such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this sub-regulation.

(2) No application for any post in the Authority shall be entertained unless the applicant is a citizen of India or a subject of Nepal or Bhutan.

(3) Any person who directly or indirectly attempts to influence any member of the Selection Committee or any other officer of the Authority or suppresses any material fact in relation to his candidature or provides any false statement or particulars shall be liable to be disqualified for selection to any post or grade.

16. Termination.- (1) The Authority may terminate the services of any Officer or employee by giving him three months notice in writing or by paying him three months emoluments in lieu thereof. Where services of such officer or employee have not been confirmed and where such officer or employee is on probation, by giving him one month's notice in writing or by paying one month's emoluments in lieu thereof.

(2) An officer or employee may resign, leave or discontinue from the service of the Authority by giving three months' notice in writing of his intention to resign, leave or discontinue the service of the Authority:

Provided that the Authority may, in its discretion, dispense with the requirement of giving three months' notice or reduce the period in appropriate cases.

17. Seniority.- (1) There shall be separate categories of post-wise seniority list for all posts in different disciplines.

(2) In case of selection of officers or employees by direct recruitment or direct recruitment through lateral entry, their seniority shall be in the order in which they are recommended by the Selection Committee.

(3) The seniority of other officers and employees of the Authority shall be determined on the basis of the instructions and guidelines issued by the Central Government (Department of Personnel and Training), from time to time.

(4) A copy of the respective seniority list shall be supplied to each officer and employee.

(5) In case of any dispute regarding inter-se seniority of officers in the respective seniority list, the decision of the Chairman shall be final.

18. Saving.— Nothing in this Chapter shall, affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Schedule Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

19. Conduct and Discipline.— The provisions of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, as amended from time to time, shall be applicable to the officers and employees, as specified in the Schedule, of the Authority in the matter of conduct and discipline:

Provided that in case of matters governed by the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 the disciplinary authority, the appellate authority and reviewing authority shall be as follows:-

Sl. No.	Grade of Officers/ Employees in the Finance Cadre	Appointing Authority	Disciplinary Authority competent to impose penalties provided in Rule 11 of the CCS (CCA) Rules, 1965		Appellate Authority	Reviewing Authority
			Minor Penalties	All Penalties		
(i)	Deputy General Manager, Manager and Deputy Manager at Head Quarter (HQ)	Member (Admn.)	Chief General Manager under whom the officer is working	Member (Admn.)	Chairman	Executive Committee comprising of Chairman and full-time Members
(ii)	Deputy General Manager, Manager and Deputy Manager at Field Offices	Member (Admn.)	Chief General Manager (CGM)/Regional Officer (RO) (where CGM is not posted in RO, CGM of HQ looking after the State)	Member (Admn.)		
(iii)	Assistant Manager at HQ	Member (Admn.)	Chief General Manager (Admn. & HR)	Member (Admn.)		
(iv)	Assistant Manager at Field Offices	Member (Admn.)	Chief General Manager (CGM)/Regional Officer (RO) (where CGM is not posted in RO, CGM of HQ looking after the State)	Member (Admn.)		
(v)	Accountant at HQ	Member (Admn.)	Deputy General Manager (Admn.)	Member (Admn.)		
(vi)	Accountant at Field Offices	Member (Admn.)	Deputy General Manager (DGM) of RO (where DGM is not posted in RO, DGM of HQ looking after the State)	Member (Admn.)		

20. Residuary matters.— In regard to matters not specifically covered by regulations made under section 35 of the Act or any general, or special orders made or issued thereunder, the service conditions of the officers and employees of Authority shall be governed by the rules applicable to the employees of the Central Government in general and instructions issued by the Central Government, from time to time.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Deputy General Manager (Finance).	17 (2021)* *Subject to variation dependent on workload.	Group-‘A’.	Level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Selection.	Not applicable.

Educational qualifications and experience required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	i) 50 per cent by Promotion. ii) 50 per cent by Deputation. Note : Appointing Authority, for the reasons to be recorded in writing, can temporarily adjust the quota specified under different modes considering the availability of candidates for promotion and needs of the organization.

In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion or deputation to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion:</p> <p>Through selection from amongst Manager (Finance and Accounts) in level-11 of pay matrix (Rs.67700-208700) of National Highways Authority of India with five years' of regular service in that post.</p> <p>Note:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation :</p> <p>(a) from officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or autonomous organisations and other Government Bodies:</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in level- 12 in pay matrix (Rs.78800-209200) (in Central Dearness Allowance pattern) or equivalent in the Industrial Dearness Allowance pattern in the parent cadre or Department;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(ii) with four years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level -11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) (in Central Dearness Allowance pattern) or equivalent in the Industrial Dearness Allowance pattern in the parent cadre or Department;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(iii) with nine years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level -10 in pay matrix (Rs.56100-177500) (in Central Dearness Allowance pattern) or equivalent in the Industrial Dearness Allowance pattern in the parent cadre or Department;</p>	Not applicable.	Not applicable.

<p style="text-align: center;">AND</p> <p>(b) Having (i) Bachelor degree in Commerce or Chartered Accountant or Certified Management Accountant or Master in Business Administration (Finance) from a recognised University or Institute;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Member of any organised Finance or Accounts related Service of the Central Government or State Government;</p> <p style="text-align: center;">AND</p> <p>(ii) Six years' experience in Financial Accounting or Budgeting or Internal Audit or Contract Management or Fund Management or Disbursement in an organisation of repute.</p> <p>Note : The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department, shall ordinarily be three years which may be extended for another two years with the approval of Chairman, National Highways Authority of India. Further extension beyond 5th year and up to a maximum of 10 years shall be with the approval of the Ministry of Road Transport and Highways subject to satisfactory performance. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Manager (Finance and Accounts).	46 (2021)* *subject to variation dependent on workload.	Group-‘A’.	Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	Non-Selection for promotion and Selection for deputation	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	<p>i) 50 per cent by Promotion. ii) 50 per cent by Deputation.</p> <p>Note : Appointing Authority for the reasons to be recorded in writing, can temporarily adjust the quota specified under different modes considering the availability of candidates for promotion and needs of the organisation.</p>

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion:</p> <p>From amongst Deputy Manager (Finance and Accounts) in level-10 of pay matrix (Rs.56100-177500) of National Highways Authority of India with four years' regular service in that post.</p> <p>Note I:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note-II:- The service rendered by the existing incumbents with effect from the date of their regularisation or appointment on direct recruitment basis in</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of Three officers (not below the rank of Chief General Managers) to be nominated by the Appointing Authority.</p> <p style="text-align: center;">and</p> <p>Fulfilment of other conditions stipulated in regulation 11 (1) (b).</p>	Not applicable.

<p>the post of Accounts Officer shall deemed to have been rendered in the post of Deputy Manager (Finance & Accounts) with effect from the date(s) of their appointment thereto.</p> <p>Deputation :</p> <p>(a) from officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or autonomous organizations and other Government Bodies:</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in level-11 in pay matrix (Rs.67700-208700) (in Central Dearness Allowance pattern) or equivalent in the Industrial Dearness Allowance pattern in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(ii) with four years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-10 in pay matrix (Rs.56100-177500) OR level-9 in pay matrix (Rs.53100-167800) (in Central Dearness Allowance pattern) or equivalent in the Industrial Dearness Allowance pattern in the parent cadre or department;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>(iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-8 in pay matrix (Rs.47600-151100) (in Central Dearness Allowance pattern) or equivalent in the Industrial Dearness Allowance pattern in the parent cadre or department.</p> <p>(b) Having (i) Bachelor in Commerce or Chartered Accountant or Certified Management Accountant or Master in Business Administration (Finance) (through regular course) from a recognised University or Institute;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Member of any organized Finance or Accounts related Service of the Central or State Government;</p> <p style="text-align: center;">AND</p> <p>(ii) Four years' experience in Financial Accounting or Budgeting or Internal Audit or Contract Management or Fund Management or Disbursement in an organisation of repute which should include atleast six months experience in Public Sector Units or Government organisation following 'Double Entry Accounting System'</p> <p>Note-III : The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department, shall ordinarily be three years which may be extended for another two years with the approval of Chairman, National Highways Authority of India. Further extension beyond 5th year and up to a maximum of 10 years shall be with the approval of the Ministry of Road Transport and Highways subject to satisfactory performance. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Deputy Manager (Finance and Accounts).	40 (2021)* *Subject to variation dependent on workload.	Group- 'A'.	Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500).	Non-Selection for promotion and Selection for direct recruitment.	Not exceeding thirty five years.

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential Educational Qualification and Experience:-</p> <p>(i) Bachelor in Commerce or Chartered Accountant or Certified Management Accountant or Master in Business Administration (Finance) (through regular course) from a recognized University or Institute;</p> <p>OR</p> <p>Member of any organized Finance or Accounts related Service of the Central Government or the State Government;</p> <p>AND</p> <p>(ii) Four years' experience in Financial Accounting or Budgeting or Internal Audit or Contract Management or Fund Management or Disbursement in an organisation of repute which should include atleast six months experience in Public Sector Undertaking or Government organisation following 'Double Entry Accounting System'.</p>	Not applicable.	One year, extendable by further period of six months, at the discretion of Appointing Authority and subject to conditions stipulated in regulation 8 of these regulations.	<p>i) 50 per cent by Promotion.</p> <p>ii) 30 per cent by Direct Recruitment through open advertisement and written examination.</p> <p>iii) 20 per cent by Deputation .</p> <p>Note: Appointing Authority for the reasons to be recorded in writing, can temporarily adjust the quota specified under different modes considering the availability of candidates for promotion and needs of the organization.</p>

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion:</p> <p>From amongst Assistant Manager (Finance and Accounts) in level-8 of pay matrix (Rs.47600-151100) of National Highways Authority of India with four years' regular service in that post.</p> <p>Note-I:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note-II:- The service rendered by the existing incumbents with effect from the date of their regularisation in the post of Junior Accounts Officer shall deemed to have been rendered in the post Assistant Manager (Finance and Accounts), with effect from the date(s) of their appointment thereto.</p> <p>Deputation :</p> <p>(a) from officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or autonomous organisations and other Government Bodies,-</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in level 10 in pay matrix (Rs.56100-177500) (in Central Dearness Allowance pattern) or equivalent in the Industrial Dearness Allowance pattern in the parent cadre or department;</p> <p>OR</p> <p>(ii) with four years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-9 in pay matrix (Rs.53100-167800) OR level-8 in pay matrix (Rs.47600-151100) (in Central Dearness Allowance pattern) or equivalent in the Industrial Dearness Allowance pattern in the parent cadre or department;</p> <p>OR</p> <p>(iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-7 in pay matrix (Rs.44900-142400) (in Central Dearness Allowance pattern) or equivalent in the Industrial Dearness Allowance pattern in the parent cadre or department;</p> <p>AND</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of Three officers (not below the rank of Chief General Managers) to be nominated by the Appointing Authority.</p> <p>and</p> <p>fulfilment of other conditions stipulated in regulation 11(1) (c).</p>	Not applicable.

(b) possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in column (7).		
Note :- The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department, shall ordinarily be three years which may be extended for another two years with the approval of Chairman, National Highways Authority of India. Further extension beyond 5th year and up to a maximum of 10 years shall be with the approval of the Ministry of Road Transport and Highways subject to satisfactory performance. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Assistant Manager (Finance and Accounts).	118 (2021)* *subject to variation dependent on workload.	Group-‘B’.	Level-8 (Rs.47600-151100).	Non-Selection for promotion and Selection for deputation	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	One year, extendable by further period of six months, at the discretion of Appointing Authority and subject to conditions stipulated in regulation 8 of these regulations.	i) 70 per cent by Promotion. ii) 30 per cent by Deputation. Note: Appointing Authority for the reasons to be recorded in writing, can temporarily adjust the quota specified under different modes considering the availability of candidates for promotion and needs of the organisation.

(11)	(12)	(13)
Promotion : From amongst Accountant in level-5 of pay matrix (Rs.29200-92300) of National Highways Authority of India with five years’ regular service in that post. Note:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation : (a) from officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or autonomous organisations and other Government Bodies,- (i) holding analogous post on regular basis in level-8 in pay matrix (Rs.47600-151100) (in Central Dearness Allowance pattern) or equivalent in the Industrial Dearness Allowance pattern in the parent cadre or department; OR (ii) with two years’ service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-7 in pay matrix (Rs.44900-142400) (in Central Dearness Allowance pattern) or equivalent in the Industrial Dearness Allowance pattern in the parent cadre or department; OR (iii) with five years’ service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-6 in pay matrix (Rs.35400-112400) (in Central Dearness Allowance pattern) or equivalent in the Industrial Dearness Allowance pattern in the parent cadre or department;	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of Chief General Manager a Group A officer of appropriate discipline and General Manager (Admin) or Deputy General Manager (Admin) to be nominated by the Appointing Authority. and fulfilment of other conditions stipulated in regulation 11 (1) (d).	Not applicable.

<p>(b) having (i) Bachelor in Commerce or Chartered Accountant or Certified Management Accountant or Master in Business Administration (Finance) (through regular course) from a recognised University or Institute;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Member of any organised Finance or Accounts related Service of the Central Government or of the State Government;</p> <p style="text-align: center;">AND</p> <p>(ii) Four years' experience in Financial Accounting or Budgeting or Internal Audit or Contract Management or Fund Management or Disbursement in an organisation of repute.</p> <p>Note:- The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department, shall ordinarily be three years which may be extended for another two years with the approval of Chairman, National Highways Authority of India. Further extension beyond 5th year and up to a maximum of 10 years shall be with the approval of the Ministry of Road Transport and Highways subject to satisfactory performance. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Accountant.	88 (2021)* *subject to variation dependent on workload.	Group-‘C’.	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).	Selection.	Not exceeding thirty years.

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential Educational Qualification:-</p> <p>(i) Bachelor in Commerce or Intermediate in Chartered Accountant or Intermediate in Certified Management Accountant or Master in Business Administration (Finance) (through regular course) from a recognized University or Institute;</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Passed in the Subordinate Accounts Service (SAS) or equivalent examination conducted by any of the organized Accounts Department of the Central Government or of the State Government;</p>	Not applicable.	One year, extendable by further period of six months, at the discretion of Appointing Authority and subject to conditions stipulated in regulation 8 of these regulations.	By direct recruitment through an open advertisement and written examination.

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

ALOK, Member (Administration)

[ADVT./III/4/Ext./526/2020-21]